

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-०१/२०१९-२०

Union Bank of India, Bahadurpur Branch

बनाम्

M/s SHIV TRACTOR

—: आदेश :—

09.10.2020

प्राधिकृत पदाधिकारी, Union Bank of India, Bahadurpur Branch, Bundu Petarwar Bokaro द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत M/s Shiv tractor Prop. Anita Devi At.-Bundu Petarwar, Bokaro के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष Union Bank of India, Bahadurpur Branch, Bokaro की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उपस्थिति दर्ज कर बैंक का पक्ष रखते हुए कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (FM of residential house, admeasuring 5 Decimal, situated at Khata No. 48, Plot No. 176, touzi No. 28, Khewat No. 01, Mouza Bundu (Petarwar) No. 21 P.S- Petarwar standing in the name of Anita Devi as per Sale Deed No. 3176 dated-16.05.2006 at DSR, Bokaro. Boundary North-Land of Upendra Pandey; South-PCC Road; East- Land of Upendra Pandey; West-Land of Anju Devi.) को गिरवी रखते हुए बैंक से रुपये 43,50,000.00 (तीतालिस लाख पच्चास हजार) ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा-14 (1 and 2) के तहत प्रथम पक्ष के द्वारा विपक्षी के बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इस हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की मांग की गई है।

द्वितीय पक्ष नोटिस प्राप्त करने के बाद भी सुनवाई के दौरान पुकार पर लगातार अनुपस्थित है। उनके द्वारा अब तक अपने बचाव में किसी

 09.10.2020

(7)

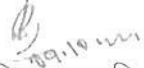
भी प्रकार का कारण—पृच्छा भी दाखिल नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि उन्हें इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है।

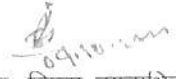
उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में संघारित कागजातों के अध्ययन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी का लगातार अनुपस्थित रहना तथा अपने बचाव में किसी भी तरह का कारण—पृच्छा दाखिल नहीं किया जाना उनके ऋण न चुकाने की भंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, Union Bank of India, Bahadurpur Branch, Bokaro द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरगों (तेनुघाट) आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।